



क्रमांक:एफ/गुप-5/पेंशन/सीपीएफ/03/2023/ 360


दिनांक: 18.07.2023

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक: एफ.4(1-आर)/एसकेराकृवि/सी/2023/410 दिनांक 11.07.2023 के क्रम में लेख है कि सीपीएफ धारक विश्वविद्यालय के सेवा निवृत्त कार्मिक, जो विश्वविद्यालय की ओपीएस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। अपना पुनः मूल विकल्प-पत्र तीन प्रतियों में अविलम्ब कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से वित्त नियंत्रक कार्यालय, स्वाकेराकृवि, बीकानेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।


समस्त कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर संबंधित सीपीएफ धारक सेवा निवृत्त/कार्मिक को सूचित करावें, ताकि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: प.13(12)वित्त / (नियम)/2021 जयपुर, दिनांक 06.07.2023 के अनुसार कार्यवाही की जा सके।

एक बार दिया गया विकल्प पत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा।


(बी.एल. सर्वा)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

- 1 कुल सचिव, स्वाकेराकृवि, बीकानेर।
- 2 निजी सचिव, माननीय कुलपति, स्वाकेराकृवि, बीकानेर।
- 3 समस्त अधिष्ठाता / निदेशक / क्षेत्रिय निदेशक / प्रभारी अधिकारी / आहरण एवं वितरण अधिकारी /
- 4 प्रभारी अधिकारी, सीमका को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 5 सहायक लेखाधिकारी, गुप-4, एसकेराकृवि, बीकानेर।
- 6 संबंधित कार्मिक / सेवानिवृत्त कार्मिक
- 7 रक्षित पत्रावली।


(बी.एल. सर्वा)
वित्त नियंत्रक